प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 683/2008

अपीलकर्ता: द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, सदर बाज़ार रोड, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी/दावाकर्ता: 1. दमरू गोंड उर्फ दामोदर एवं अन्य।

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 684/2008

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता: द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, सदर बाज़ार रोड, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी/दावाकर्ता: 1. कार्तिक दास, पिता- बलराम दास एवं अन्य।

तथा

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 685/2008

अपीलकर्ता: द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, सदर बाज़ार रोड, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी/दावाकर्ता: 1. पद्मनी, पत्नी- स्वर्गीय महादेव मांझी उर्फ माधो मांझी एवं अन्य।

आदेश की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करे ।

हस्ता/-

न्यायाधीश

9-07-2012

हस्ता/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 683/2008

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता: द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, सदर बाज़ार रोड, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी(दावाकर्ता): 1. डमरू गोंड उर्फ दामोदर, पिता- पदम गोंद, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी- उमरकोट, झाड़ीगांव रोड, जिला- नवरंगपुर, उड़ीसा।

प्रत्यर्थीगण (अनावेदक): 2. सरूप सिंह उर्फ स्वरूप सिंह, पिता-जयसिंह, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी- उमरकोट, झाड़ीगांव रोड, जिला- नवरंगपुर, उड़ीसा। (चालक)

3. हेमलता सामल, पत्नी- विनोद सामल, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी- उमरकोट, झाड़ीगांव चाचा, जिला- नवरंगपुर, उड़ीसा। (जीप क्रमांक OR-10/A-5388 की स्वामिनी)

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 684/2008

अपीलकर्ता: द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, सदर बाज़ार रोड, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी(दावाकर्ता): 1. कार्तिक दास, पिता- बलराम दास, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी- उमरकोट, डाकघर- सिरलीगुड़ा, जिला- नवरंगपुर (उड़ीसा)।

प्रत्यर्थीगण (अनावेदक): 2. सरूप सिंह उर्फ स्वरूप सिंह, पिता- जयसिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी- उमरकोट, झाड़ीगांव रोड, जिला- नवरंगपुर, उड़ीसा (चालक)।

3. हेमलता सामल, पत्नी- विनोद सामल, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी- उमरकोट, झाड़ीगांव चाचा, जिला- नवरंगपुर, उड़ीसा (जीप क्रमांक OR-10/A-5388 की स्वामिनी)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 685/2008

अपीलकर्ता: द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, सदर बाज़ार रोड, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थीगण(दावाकर्तागण): 1. पद्मनी, पत्नी- स्वर्गीय महादेव मांझी उर्फ माधो मांझी, उम्र लगभग 26 वर्ष।

2. चमारू अधिकारी, पिता- रतन अधिकारी, उम्र लगभग 60 वर्ष।

3. उर्मिला, पिता- स्वर्गीय महादेव मांझी, उम्र लगभग 12 वर्ष।

4. प्रमिला, पिता- स्वर्गीय महादेव मांझी, उम्र लगभग 16 वर्ष।

5. सुशीला, पिता- स्वर्गीय महादेव मांझी, उम्र लगभग 11 वर्ष।

(अप्राप्तवय प्रत्यर्थी क्रमांक 3, 4 और 5 अपनी

संरक्षक माता पदमनी के माध्यम से)।

सभी निवासी: उमरकोट, जिला- नवरंगपुर, उड़ीसा।

<u>मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के तहत विविध अपीलें।</u>

<u>उपस्थिति:</u>

श्री सुधीर अग्रवाल: सभी अपीलों में अपीलकर्ता (बीमा कंपनी) के अधिवक्ता।

श्री प्रफुल्ल एन. भारत एवं श्री केशव देवांगन: सभी अपीलों में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 (दावाकर्ता) के अधिवक्ता।

श्री विजय साहू: सभी अपीलों में प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

<u>(दिनांक 9 जुलाई 2012 को पारित)</u>

1. चूँकि बीमा कंपनी द्वारा दायर विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 683, 684 और 685 /2008 एक ही दुर्घटना और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (संक्षेप में 'अधिकरण'), कांकेर द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 213/2006, 214/2006 और 212/2006 में दिनांक 28.09.2007 को पारित एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इनका निराकरण इस समान आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

2. मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन दायर कर दावाकर्तागण द्वारा माँगे गए क्रमशः 3,00,000 रुपये, 7,26,000 रुपये और 8,50,000 रुपये के मुआवजे के विरुद्ध, जो उन्हें दिनांक 31.12.1997 को हुई सड़क दुर्घटना में डमरू गोंड और कार्तिक दास को आई चोटों तथा महादेव मांझी (प्रत्यर्थी **क्रमांक** 1 के पति, प्रत्यर्थी **क्रमांक** 2 के पुत्र और प्रत्यर्थी **क्रमांक** 3, 4 व 5 के पिता) की मृत्यु के लिए चाहिए था, विद्वान

अधिकरण ने दावाकर्तागण को मुआवजे के रूप में क्रमशः 20,000 रुपये, 20,000 रुपये और 1,80,500 रुपये की कुल राशि 9% वार्षिक ब्याज के साथ प्रदान की है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 31.12.1997 को दावाकर्ता डमरू गोंड, कार्तिक दास और मृतक महादेव उर्फ माधो मांझी अपने दोस्तों के साथ जीप (पंजीकरण **क्रमांक** OR-10/A-5388) में पिकनिक मनाने के लिए उमरकोट ज़रीगांव से गंगरेल बांध जा रहे थे। उक्त वाहन को प्रत्यर्थी चालक सरूप सिंह उर्फ स्वरूप सिंह द्वारा तेज़ और लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वह एक पेड़ से टकरा गई। इस टक्कर के कारण डमरू गोंड, कार्तिक दास और महादेव मांझी को गंभीर चोटें आईं और महादेव मांझी की इस मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई। उक्त घटना के बाद, दावाकर्तागण ने अधिकरण, कांकेर के समक्ष मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें दावा याचिका **क्रमांक** 26/1998, 27/1998 और 25/1998 के रूप में पंजीकृत किया गया और इन्हें 17.01.2000 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात, दावाकर्तागण ने इनकी बहाली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 के तहत आवेदन दिए, जिन्हें एम.जे.सी. **क्रमांक** 3/2000, 4/2000 और 2/2000 के रूप में पंजीकृत किया गया और बाद में 27.03.2001 के आदेश द्वारा अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया क्योंकि दावाकर्तागण ने आदेशिका शुल्क का भुगतान नहीं किया था और वे अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद, 4 वर्ष बीत जाने के बाद, दावाकर्तागण द्वारा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दंतेवाड़ा के समक्ष नवीन दावा याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें दावा याचिका **क्रमांक** 163/2005, 165/2005 और 164/2005 के रूप में पंजीकृत किया गया। दावाकर्तागण के अनुरोध पर, अधिकरण ने 03.11.2006 को उक्त दावा याचिकाएं वापस कर दीं ताकि उन्हें अधिकरण, कांकेर के समक्ष दायर किया जा सके। तत्पश्चात, 06.12.2006 को अधिकरण, कांकेर के समक्ष दावा याचिकाएं दायर की गईं और उन्हें दावा प्रकरण **क्रमांक** 213/2006, 214/2006 और 212/2006 के रूप में पंजीकृत किया गया, जिन्हें अंततः 28.09.2007 को अधिकरण, कांकेर द्वारा श्रवण एवं विरचित किया गया, जिससे ये अपीलें प्रोद्भूत हुई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर अग्रवाल ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 के आधार पर यह तर्क दिया कि दावाकर्तागण द्वारा अधिकरण, कांकेर के समक्ष दायर की गई द्वितीय दावा याचिकाएं विधिक रूप से वर्जित हैं और वे केवल मान्य न होने के आधार पर ही खारिज होने योग्य हैं।

5. प्रत्यर्थी **क्रमांक** 1 के अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भारत (सह श्री केशव देवांगन) और प्रत्यर्थी **क्रमांक** 2 व 3 के अधिवक्ता श्री विजय साहू ने यह निवेदन किया कि अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय को अपास्त किया जा सकता है, बशर्ते दावाकर्तागण को अधिकरण, कांकेर के समक्ष नवीन दावा याचिकाएं दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अधिकरण के आक्षेपित अधिनिर्णय व अभिलेख का बारीकी से परीशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान अधिकरण ने विचारणीय प्रश्न तैयार किए थे, जिसमें प्रश्न **क्रमांक** 1 इस प्रकार था:

"क्या यह दावा याचिका इस अधिकरण द्वारा सुनवाई योग्य है?"

जिसका निष्कर्ष "हाँ" में दिया गया था।

विद्वान अधिकरण ने आक्षेपित अधिनिर्णय पारित करते समय कंडिका 8 और 9 में जो अवलोकन किया, वह इस प्रकार है:

(8) वाद प्रश्न क्रमांक-1. आवेदकगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दावा प्रकरणों से संबंधित मूल अभिलेख मंगाये गये, जिसके अनुसार आवेदकगण ने अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाविवरण, कांकेर के समक्ष दिनांक 28/03/1998 को दावा प्र.क्र. 26/98 -27/98 और 25/98 दिनांक पेश किया जाकर यह दावा प्रकरण अंतरिम आवेदन पत्रों पर तर्क हेतु नियम दिनांक 17/01/2000 को आवेदकगण को अनुपस्थित हो जाने से अदम पैरवी में खारिज किया गया। इस दावा प्रकरण को आवेदक द्वारा पुनः स्थापित करने हेतु दिनांक 14/02/2000 को प्रस्तुत आवेदन आदेश 9 नियम 9 व्य.प्र.सं. पर पंजीबद्ध एम.जे.सी क्र. 3/2000 4/2000 और 2/2000 अनावेदक क्र. 1 की उपस्थिति हेतु आदेशिका शुल्क

आवेदकगण द्वारा जमा नहीं किये जाने से नियत पेशी दिनांक 27/03/2001 को आवेदिका की अनुपस्थिति में यह एम.जे.सी प्रकरण भी अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया गया । इसके पश्चात् आवेदकगण द्वारा मोटर दुर्घटना दावाधिकरण, " दंतेवाड़ा में क्षतिपूर्ति हेतु दावा आवेदन दिनांक 16/08/2005, 16/08/2005 एवं 01/08/2005 को पेश किया गया । यह दावा प्रकरण अतिरिक्त दावा अधिकरण दंतेवाडा को न्यायालय में पंजीबद्ध दावा प्र.क्र. 163/2005, 165/2005 और 164/05 को आवेदकगण द्वारा इस घटना से संबंधित दावा कांकेर न्यायालय में पूर्व में पेश किये जाने से कांकेर में ही कार्यवाही चाहने से आवेदकगण द्वारा अपना दावा दिनांक 03/11/2006 को वापस लिया गया था तत्पश्चात आवेदकगण द्वारा दिनांक 06/12/2006 को मोटर दुर्घटना दावाधिकरण कांकेर के न्यायालय में वर्तमान दावा पेश किया गया । यह उल्लेखनीय है कि आवेदकगण द्वारा पूर्व में जो भी दावा कांकेर एवं दंतेवाडा दावाधिकरण के अंतर्गत पेश किया है उसका निराकरण गुण दोष के आधार पर नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) मोटर वाहन दर्घटना की वजह से किसी व्यकित को क्षतिकारित होती है या मृत्यु हो जाती है तो प्रभावित संबंधित व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति पाने हेतु दावा मोटरयान अधिनियम 1988 के अध्याय-।2 के तहत दावाधिकरण में पेश किया जाता है । दावा पेश किये जाने के लिये परिसीमा अब नियत नहीं है । मोटरयान अधिनियम में दावा से संबंधित प्रावधान एक कल्याणकारी विधायन है, जिसका उद्देश्य मोटर वाहन दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर उन्हें राहत पहुंचाने का है । एसी स्थिति में बिना गुण दोष के पूर्व में दावा प्रकरण का निराकरण होता है तो भी इस कल्याणकारी विधायन को उद्देश्यों को देखते हुए मोटर वाहन दुर्घटना से प्रभावित पीड़ित व्यक्तियों द्वारा पुनः दावा पेश किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह दावा प्रकरण चलने योग्य है । अतः वाद प्रश्न क्र.1 "हाँ" निष्कर्षित किया जाता है।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा दर्ज किया गया उपरोक्त निष्कर्ष एक सही निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 और आदेश 9 नियम 9 के प्रावधान अत्यंत स्पष्ट हैं, जो इस प्रकार हैं:

"8. प्रक्रिया जहाँ केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है वहाँ प्रक्रिया: जहाँ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है वहाँ न्यायालय यह आदेश देगा कि वाद खारिज कर दिया जाए। किंतु यदि प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री पारित करेगा और जहां दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो वहां वह वाद को वहां तक खारिज करेगा जहां तक उसका सम्बन्ध अवशिष्ट दावे से है।

9. व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है-(।) जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णत: या भागतः खारिज कर दिया जाता है वहां वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवारित हो जाएगा । किन्त् वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब वाद की सनवाई के लिए पुकार पडी थी उस समय उसकी अनुपंजाति के लिए पर्याप्त हेतुक था तो न्यायालय खर्चों या अन्य बातों के बारे में ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, खारिजी को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा ।

(2) इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना की तामील विरोधी पक्षकार पर न कर दी गई हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपरोक्त प्रावधानों के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ कोई वाद 'सिविल प्रक्रिया संहिता' के आदेश 9 नियम 8 के तहत पूरी तरह और आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है, वहाँ नया वाद लाना वर्जित है. इसके अतिरिक्त, जब मूल दावा याचिका को अदम पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया था और उसके पश्चात दायर किया गया बहाली आवेदन भी खारिज हो गया, तब विद्वान अधिकरण द्वारा उसी वाद-हेतुक पर आधारित नई दावा याचिका पर पुनः निर्णय लेना पूरी तरह से अवैध और अनुचित है. यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई दावा याचिका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और वह व्यतिक्रम के कारण खारिज हो जाती है, और बाद में उसकी बहाली का आवेदन भी खारिज कर दिया जाता है, तो उसी वाद-हेतुक पर दोबारा दावा पेश नहीं किया जा सकता. इसलिए, आक्षेपित अधिनिर्णय के कंडिका 8 और 9 में विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और

इसलिए वह पूरी तरह से गलत, अवैध एवं दोषपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन के आलोक में, बीमा कंपनी द्वारा दायर सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं और अधिकरण द्वारा दिनांक 28.09.2007 को पारित आक्षेपित अधिनिर्णय को अपास्त किया जाता है।

11. यदि बीमा कंपनी द्वारा अधिकरण के समक्ष कोई राशि जमा की गई है, तो वह राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।

12. वाद व्यय के संबंध में, कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Yash Khare (Adv.)